साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(बिहार सरकार का उपक्रम)

निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

(मा0स0 एवं प्रशासन विभाग)

पत्रांक ...../ दिनांक ...../

SB-VI/Acctts/जाति-6040/2026

प्रेषक,

कुमार अलख निरंजन सिंह,
अवर सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
महाप्रबंधक (राजस्व)
कंपनी मुख्यालय, पटना।
महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता,
पेसू क्षेत्र पटना।
उपमहाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता,
केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, पटना/भागलपुर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, भागलपुर/
मगध विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, गयाजी।
विद्युत अधीक्षण अभियंता,
सभी विद्युत आपूर्ति अंचल/असैनिक अंचल
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

विषयः **माननीय सर्वोच्च्य न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपिल संख्या– 18808/2017 डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विचारमंच बिहार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य तथा एस0एल0पी0 (सी0) संख्या–15725 को पारित आदेश के आलोक में अग्रतर कर्रावाई करने के के संबंध में।**

प्रसंग : बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2750 दिनांक–09.02.2026

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि उप महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर (हो0) कंपनी लिमिटेड, पटना के साथ बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2750 दिनांक–09.02.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त के आलोक में लेखा संवर्ग एवं राजस्व संवर्ग के पदाधिकारियों का स्व–घोषणा पत्र तैयार कर यथा शीघ्र कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि वांछित प्रतिवेदन समय भेजा जा सके।

अनुः–तथैव।

विश्वासभाजन

Illuminating Lives

ह0/–
(कुमार अलख निरंजन सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि :– सभी उपमहाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं (राजस्व)/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं (राजस्व)/सभी लेखा पदाधिकारी एवं सभी राजस्व पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुः–तथैव।

ह0/–
(कुमार अलख निरंजन सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांक 178 दिनांक 18/8/26

प्रतिलिपि :– वरीय प्रबंधक (आई0टी0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं कंपनी के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुः–तथैव।

18/8/26
(कुमार अलख निरंजन सिंह)
अवर सचिव

साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21
बिहार सरकार का उपक्रम
CIN No. U40109BR2012SGC018890

(18)

पत्रांक..... 147 /
SB-XII/Misc. (Report)-3004/2025

दिनांक 29/7/26 /

प्रेषक,

श्रीकान्त प्रसाद,
अवर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव,
प्रभारी प्रशाखा–I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना।

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18808 /2017 डॉ भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस0एल0पी0 (सी0) सं0–15725 को पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2750 दिनांक–09.02.2026 की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त के आलोक में स्व–घोषणा पत्र तैयार कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ताकि समेकित रूप से सूचना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना को भेजी जा सके।

अनु0–तथैव।

विश्वासभाजन,
29/7/26.
(श्रीकान्त प्रसाद)
अवर सचिव

37/S.O-VI
31/7/26

SO-VI
31/7/26

Illuminating lives...

31/07/26

साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना-21 पवन कुमार गुप्ता
Email ID- md.sbpdcl@gmail.com; Ph. No. 0612-2504045; Fax No. 0612-2504532.

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना
Bihar State Power (Holding) Company Limited
(निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना)
(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Jawaharlal Nehru Marg, Patna)
GST No. 10AAFCB2394A2ZD, CIN No.-U40102BR2012SGC018495
Website:- WWW.bsphcl.bih.nic.in
(Department of HR & Administration)

पत्रांक– 176 दिनांक 30/04/2026

H-III/Misc- 8011/2025

प्रेषक,

श्री विनय कुमार,
उप महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0)

सेवा में,

सभी महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना।
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना।
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना।
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड, पटना।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0–18808 / 2017 डॉ0 भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस0एल0पी0 (सी0) सं0–15725 को पारित आदेश के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2750 दिनांक–09.02.2026 की छाया प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि उक्त के आलोक में स्व–घोषणा पत्र तैयार कर यथाशीघ्र कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–तथैव।

विश्वासभाजन
30.4.26
(विनय कुमार)
उप महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0)
28.04.2026

1687/DS-XII
04/05/26

S.O-XII
5/5/26

4484/GM (HR)
30/04/26

2240/DGM (HR)
30-04-26

Atul ji
5-5-26

277/SO-XII
05.05.2026

1003/US-12
05/05/26

(10)

पत्रांक 281 / दिनांक 07.04.2026

H-I/Misc-10004/2021(Part-IV)

प्रेषक,

बिनय कुमार,
अवर सचिव

सेवा में,

उप सचिव,
प्रभारी प्रशाखा –H-III, IV, V, VI, एवं VIII
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना।

विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डॉ0 भीम राव अम्बेदडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस0एल0पी0(सी0) संख्या–15.07.2024 के पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सर्जा विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 750 दिनांक 10.02.2026 द्वारा अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 2750 दिनांक 09.02.2026 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जो अनुलग्नक सहित आपके आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनु0:–तथैव।

विश्वासभाजन,
07/04/2026
(बिनय कुमार)
अवर सचिव

07/04/26

US-3
5
7/4

S.O-3
7/04/26

2:59
08/04/2026

All Assistants
07-04-2026

09

ओवैक

ब्रजनीश कुमार
संरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।
सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 09.2.26

विषयः– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017 डॉ. भीम राव अम्बेडकर विचार मंच बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबद्ध वाद में दिनांक 15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–12679 दिनांक–09.08.2024 द्वारा विभागीय संकल्प संख्या–9532, दिनांक–01.07.2025, जिसके द्वारा अत्यंत पिछड़ो वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक– 33 पर दर्ज तांती (ततवा) जाति को विलोपित कर बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशित किया गया था, को निरस्त करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पूर्व की भाँति पुनर्स्थापित करने के सम्बंध में दिशा–निदेश परिचारित किया गया है।

ALL PAGES COMMON – NOTED LETTER

जाँच का कोपांग
.....9.6.6.....
09-02-2026

को दृष्टिपथ रखते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में [illegible] किए गए कुल [illegible] समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों [illegible] समरूप पदों के लिए Supernumerary post/Shadow post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई किये जाने का दिशा–निदेश परिचारित किया गया।

उक्त क्रम में विभागीय संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 की तिथि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–15.07.2024 की तिथि तक विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा की गयी अनुशंसाओं की सम्पूर्ण वरीयता सूची (Merit List) में उपलब्ध अनुसूचित जाति वर्ग के शेष अभ्यर्थियों में से उत्पन्न वर्तमान रिक्ति के विरुद्ध चयन हेतु व्यवहारिक व्यवस्था बनाने के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 22.11.2024 को सम्पन्न बैठक में विभिन्न नियुक्ति आयोगों/विभागों से सुझाव प्राप्त किये गये।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–22.11.2024 को विभिन्न नियुक्ति आयोगों/विभागों के साथ सम्पन्न समीक्षा बैठक के माध्यम से प्राप्त परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णय के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–20251 दिनांक–18.12.2024 द्वारा निम्नांकित प्रावधान निर्गत किये गये–

(i) वर्णित अवधि में वैसे कर्मी/पदाधिकारी– जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्त होकर वर्तमान में कार्यरत हैं– उन सभी से उनकी जाति के संबंध में प्रशासी विभाग के द्वारा विहित प्रपत्र (संलग्न) में स्व–घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई 01 माह में सुनिश्चित की जाएगी। उस आधार पर विनिश्चत किया जाएगा कि तांती (ततवा) जाति के कौन–कौन कर्मी, अनुसूचित जाति की रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त हुए हैं।

(ii) प्रशासी विभाग के द्वारा स्व–घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त कर तांती (ततवा) जाति के चिह्नित कर्मियों/पदाधिकारियों के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानान्तरण के फलस्वरूप अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न रिक्ति के विरूद्ध सुसंगत विज्ञापन के अन्तर्गत शेष अनुसूचित जाति की संधारित प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग को समुचित अधियाचना प्रस्ताव भेजी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि एतद संबंधी कार्रवाई हेतु विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए संबंधित विभाग एवं आयोग को आपस में समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु 01 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने उपरांत भी कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अब तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डा0 भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध वाद में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–12679 दिनांक–09.08.2024 एवं परिपत्र संख्या– 20251 दिनांक–18.12.2024 के आलोक में कृत कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली में प्राप्त परिवाद के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–SSW-II/IP/BHR/2026/321542 दिनांक–20.01.2026 द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को Notice भी जारी किया गया है।

विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध वाद में दिनांक--15.07.2024 को पारित आदेश की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

06/02/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांकः--प्र01/ऊर्जा स्था0--01/2021-- 756 /पटना, दिनांकः-- 10.02.2026

प्रतिलिपि--अध्यक्ष-सह--प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना/निदेशक, ब्रेडा, विद्युत भवन-II पटना एवं विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

FILE PATH-C/M&K-X-HINDI LETTER

DA

सामान्य प्रशासन [illegible] संख्या-[illegible] के तिथि से प्रासंगिक [illegible] तिथि [illegible] (तत्तवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, [illegible] अनुसूचित जाति [illegible] से [illegible] सुरक्षा प्रदान करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में पदोन्नति ग्रेड में Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। इस [illegible] में अनुसूचित जाति कोटि में प्राप्त रिक्तियों को यथास्थिति [illegible] अनुसूचित जाति कोटि के [illegible] करने की कार्रवाई की जा सकेगी।

[illegible],
रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 764-571+200-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

(05)

पटना–16, दिनांक 9 अगस्त 2024

विषय– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या– 18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर दर्ज तांती (ततवा) जाति को विलोपित करते हुए अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को इस विषय के संबंध में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) को निरस्त करते हुए तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति की कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का आदेश दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–15.07.2024 को पारित न्यायादेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निम्नांकित आदेश संसूचित किए जाते हैं–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–723 दिनांक–02.07.2015) को निरस्त किया जाता है।

(ii) उपर्युक्त कंडिका–(i) के द्वारा किए गए निरस्तीकरण के क्रम में राज्य के तांती (ततवा) जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग को देय आरक्षण सहित अन्य सभी सुविधाएँ पूर्व की भांति अनुमान्य होगी तथा बिहार हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 (तत्काल विलोपित) पर तांती (ततवा) जाति को पूर्व की भांति पुनर्स्थापित किया जाता है।

(iii) उपर्युक्त कंडिका–(i) के द्वारा किए गए निरस्तीकरण तथा कंडिका–(ii) के द्वारा किए गए पुनर्स्थापन के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 की निर्गत तिथि 01.07.2015 से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश की तिथि दिनांक–15.07.2024 के बीच तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जिनकी राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्ति हुई है, को सेवा बहाल/बरकरार रखते हुए इसे अनुसूचित जाति कोटि से अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किया जायेगा। तत्परचात माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की मूल भावना को दृष्टिप्रथ रखते हुए अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरित किए गए कुल कर्मियों को समायोजित करने के निमित्त विशेष परिस्थिति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु संबंधित विभागों में समरूप पदों के लिए Supernumerary Post/Shadow Post सृजित करते हुए समायोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संपादित की जाएगी।

(iv) तांती (ततवा) जाति के वैसे कर्मी/पदाधिकारी, जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि के विरूद्ध कार्यरत हैं, के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति के विरूद्ध अनुसूचित जाति कोटि के अंतर्गत पदों को भरने हेतु बैकलॉग के रूप में विभागवार यथास्थिति विशेष भर्ती अभियान की कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूचित जाति वर्ग के [illegible] से [illegible]
व्यवस्था बनाने के लिए मुख्य सचिव, बिहार की [illegible] 2024 [illegible]
में विभिन्न नियुक्ति आयोगों/विभागों से सुझाव [illegible] प्राप्त सुझावों को [illegible]
हुए सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत निर्णय संसूचित किए जाते हैं--

(i) वर्णित अवधि में वैसे कर्मी/पदाधिकारी- जो राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति कोटि से नियुक्त होकर वर्तमान में कार्यरत हैं- उन सभी से उनकी जाति के संबंध में प्रशासी विभाग के द्वारा विहित प्रपत्र (संलग्न) में स्व-घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई 01 माह में सुनिश्चित की जाएगी। उस आधार पर विनिश्चत किया जाएगा कि तांती (ततवा) जाति के कौन-कौन कर्मी अनुसूचित जाति की रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त हुए हैं।

(ii) प्रशासी विभाग के द्वारा स्व-घोषणा पत्र/शपथ पत्र प्राप्त कर तांती (ततवा) जाति के चिह्नित कर्मियों/पदाधिकारियों के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि में स्थानान्तरण के फलस्वरूप अनुसूचित जाति कोटि में उत्पन्न रिक्ति के विरूद्ध सुसंगत विज्ञापन के अन्तर्गत शेष अनुसूचित जाति की संधारित प्रतीक्षा सूची में से नियुक्ति हेतु संबंधित आयोग को समुचित अधियांचना प्रस्ताव भेजी जाएगी।

एतद संबंधी कार्रवाई हेतु विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संबंधित विभाग एवं आयोग समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन

18/12/24

(रजनीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–73, 2024

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा मे

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।
सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 18/12/24

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–18802/2017, डॉ० भीम राव अम्बेडकर विचार मंच, बिहार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सम्बद्ध एस०एल०पी० (सी०) संख्या–18294/2021 आशीष रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में दिनांक–15.07.2024 को पारित आदेश एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में विभागीय परिपत्र संख्या–12879 दिनांक–09.08.2024 द्वारा तांती (ततवा) जाति को अनुसूचित जाति कोटि से वापस करते हुए इसे मूल कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के संबंध में दिशा–निदेश परिचारित किए गए हैं।

उक्त क्रम में विभागीय संकल्प संख्या–9532 दिनांक–01.07.2015 की तिथि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–15.07.2024 की तिथि तक विभिन्न नियुक्ति आयोगों द्वारा की गयी अनुशंसाओं की संपूर्ण वरीयता सूची (Merit List) में उपलब्ध

.... क्षेत्र अंतर्गत तांती (तंतवा) जाति के कार्यरत पदाधिकारी से संबंधित

स्व–घोषणा पत्र

1. नाम –
2. जन्म तिथि–
3. पदनाम–
4. विभाग / कार्यालय का नाम–
5. कोटि क्रमांक–

मैं एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैं तांती (तंतवा) जाति का सदस्य हूँ / नहीं हूँ।

तिथि–

स्थान–

हस्ताक्षर–

पूरा नाम–

विभाग / कार्यालय का नाम–

C://Babloo/Tippani

संबंधित आयोग एवं विभाग के बीच पत्राचार हेतु विहित प्रपत्र :–

क्रम सं०	अनुशंसी आयोग	विज्ञापन सं०	नियुक्त अनु०जाति के कर्मी/ पदाधिकारी का नाम	संवर्ग / पदनाम	विभाग का नाम	नियुक्त कर्मी/पदाधिकारी अनु०जाति वर्ग में तांती (ततवा) जाति से संबंधित हैं– (हाँ /नहीं)	अनु०जाति कोटि में तांती (ततवा) जाति के नियुक्त कर्मियों/ पदाधिकारियों की सं०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
						कुल संख्या		

प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर